न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 60/2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 देवीसिंह पुत्र रतनसिंह निवासी जादाणियों का वास महाबार 2 हमीरसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 सांवलसिंह 2 रायसिंह पिसरान तगसिंह जाति राजपूत 3 अगरी पत्नी आम्बाराम जाति सुथार निवासी देशालाणियों की ढाणी मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री सुनिल मेराजा, वकील वादीगण।

निर्णय

दिनांक 26.02.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा देसलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1889 रकबा 92.04 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि में से वादीगण द्वारा खातेदार सबलसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर से जरिये पंजीबद्ध बेचान दिनांक 09.05.2011 को 16.02 बीघा भूमि क्रय की थी, जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। भूमि अविभाजित होने से तथा हिस्से खुले नही होने से प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है। लिहाजा माफिक हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादीगण का हिस्सा पृथकि कर विभाजित करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल मे लाई गई।

वादीगण की शहादत मे वादीगण एवं गवाह अहमद पुत्र खंगार जाति कुम्भार निवासी महाबार तहसील व जिला बाडमेर द्वारा उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण द्वारा 16.02 बीघा भूमि खातेदार सबलसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर से जरिये पंजीबद्ध क्रय की थी। उस 16.02 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। माफिक कब्जा काश्त भूमि का विभाजन किया जावें।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी द्वारा 16.02 बीघा भूमि खातेदार सबलसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

से जरिये पंजीबद्ध क्रय की थी। उस 16.02 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। माफिक कब्जा काश्त विभाजन करने का निवेदन किया।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 03 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त भूमि में का वादीगण द्वारा 16.02 बीघा भूमि खातेदार सबलसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर से जरिये पंजीबद्ध क्रय क्रय की थी। उस 16.02 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा देसलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1889 रकबा 92.04 बीघा भूमि में वादीगण को 16.02 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष भूमि यथावत रहेगी। प्राथमिक डिकरी जारी हो। तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मौजा देसलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1889 रकबा 92.04 बीघा भूमि में वादीगण की 16.02 बीघा भूमि में वादीगण की 16.02 बीघा कब्जा काश्त की भूमि पक्षकारान एवं मौतबिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/– निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा अदा की जायेगी।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner